

# हरिद्वार—रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार



## नागरिक अधिकार पत्र

सिटीजन चार्टर

2024

(उत्तम सिंह चौहान)

सचिव

फोन: 01334 220800

01334—221558

(अंशुल सिंह)

उपाध्यक्ष

फोन / फैक्स: 01334 265702

ई—मेल :— [admin.hda@gmail.com](mailto:admin.hda@gmail.com)

वेब साइट :— [www.onlinehrda.com](http://www.onlinehrda.com)

## प्रस्तावना

सुनियोजित विकास की दृष्टि से हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्र जनपद हरिद्वार हेतु समय—समय पर जारी अधिसूचना के आधार पर लिये गये हैं। हरिद्वार—रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा हरिद्वार महायोजना तैयार की गयी है तथा रुडकी महायोजना का प्रारूप तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न आवासीय एवं जनसुविधाओं हेतु सम्पत्ति का अर्जन, प्रबन्धन एवं उनका निस्तारण का प्राविधान हैं। विकास की दृष्टि से विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना, आवासीय सुविधायें विकसित करना एंव भवन मानचित्र तथा तलपट मानचित्र स्वीकृत करना आदि शामिल हैं।

## गठन

हरिद्वार, रुडकी विकास प्राधिकरण का गठन शासकीय अधिसूचना संख्या 540/11-5-85-23(1)डी0ए0/85 दिनांक 02.05.1986 द्वारा किया गया, तदोपरान्त उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 959/न0वि0-आ0/अभि0-2001-79(आ0)/2001 दिनांक 20-04-2001 को हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड का पुर्णगठन किया गया जो निम्नवत् हैः—

1—अध्यक्ष, हरिद्वार—रुडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	अध्यक्ष
2—प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
3—सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
4—सचिव तीर्थाटन/पर्यटन उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
5—सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
6—सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	पदेन सदस्य
7—उपाध्यक्ष, हरिद्वार—रुडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	पदेन सदस्य
8—जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
9—मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून	पदेन सदस्य
10—मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार	पदेन सदस्य
11—अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश	पदेन सदस्य
12—अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल	पदेन सदस्य
13—अध्यक्ष, नगर पंचायत रानीपुर हरिद्वार	पदेन सदस्य
14—उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित सदस्य	गैर सरकारी सदस्य

## प्रधिकरण विकास क्षेत्र की अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 3692/11-5-86-23(1)/टी0ए0/85 लखनऊ दिनांक 04 जून 1986 द्वारा हरिद्वार नगर पालिका, ऋषिकेश नगर पालिका, नगर पंचायत मुनिकीरेती के अतिरिक्त 63 ग्राम सभाओं को सम्मिलित करते हुए हरिद्वार विकास क्षेत्र का गठन किया गया था।

वर्तमान में अधिसूचना संख्या 1277/V-2/2019-05 (आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 13 सितम्बर 2019 द्वारा सम्पूर्ण जिला हरिद्वार के भू-भाग को हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया।

### उद्देश्य

हरिद्वार विकास क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित कराना तथा अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित करना।

### कार्यकलाप

01. महायोजना के प्राविधानों के अनुसार महायोजना क्षेत्र का विकास करना।
02. विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अधीन अनियंत्रित विकास को रोकना तथा भावी विकास को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों के अनुरूप सुनिश्चित कराना ताकि सम्यक व प्रगतिशील, जैविक सन्तुलन तथा पर्यावरण के अनुकूल सुनिश्चित किया जा सके।
03. विभिन्न आय वर्गीय आवासीय भवन एंव भूखण्ड उपलब्ध कराकर आवासीय समस्या का समाधान करना।
04. महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सुनियोजित विकास करना तथा अनियोजित विकास को हतोत्साहित करना।
05. विकास क्षेत्र के अधीन सौन्दर्यकरण योजना तैयार कर सुनिश्चित करना।
06. अवरस्थापना सुविधा के अधीन विकास क्षेत्र में सड़कों/मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना एंव यातायात एंव परिवहन, ड्रेनेज, पेयजल हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर सुधार एंव सुचारू बनाना।
07. विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार पार्किंग स्थलों का विकास, शॉपिंग कॉम्प्लैक्सों व पर्यटन की सुविधाओं की योजनायें तैयार करके कियान्वयन करना।

### हमारी प्रतिबद्धतायें:-

हरिद्वार विकास क्षेत्र के अधीन हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्तापरक, विकासोन्मुख, जनसहभागितापरक पारदर्शी योजनायें लागू करना तथा उनका क्रियान्वयन करने के लिए वचनबद्ध है।

01. उचित मूल्य पर उच्चकोटि का विकास एंव निर्माण कार्य।
02. सभी प्रकार के लेन-देन में पारदर्शिता एंव समयबद्धता सुनिश्चित करना।
03. विभिन्न प्रकरणों में किसी प्रकार की स्वीकृति/अस्वीकृति करने के बारे में तथा कार्य संचालन एंव औचित्य के सम्बन्ध में सूचना देना।
04. विकास प्राधिकरण की कार्यपूर्ति के सम्बन्ध में निष्पक्ष, सामयिक समीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराना।
05. आवश्यकतानुसार अवधारित की जाने वाली नीतियों के औचित्य के विषय में सूचना देना।

**हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण जनसेवा के सम्बन्ध में निम्नलिखित आशवासन देता है:-**

01. सभी सेवाओं/शिकायत पत्रों का समयबद्ध समाधान जहां विलम्ब सम्भावित हो, विलम्ब के कारणों सहित एवं उत्तर देने के सम्भावित समय के विषय में सूचित करना।
02. विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों के नाम, पदनाम, टेलीफोन नम्बर एवं कार्यालय कक्ष की सूचना प्रदर्शित करना।
03. ऐसे अधिकारियों द्वारा जो जनता से सीधे सम्पर्क में हैं, उसकी पहचान के लिए पटिका धारण करना।
04. संचालित कार्यों के समयबद्ध निस्तारण के लिए सूचना सामग्री, स्वागत कक्ष, प्रशासनिक अधिकारी कक्ष में उपलब्ध कराना।
05. समुचित प्रचार के साथ लम्बित प्रकरणों का त्वरित निष्पादन हेतु निर्धारित समय पर नियमित रूप से लोक शिविर आयोजित करना।
06. विभिन्न कार्य संचालन के लिए सीमा निर्धारित करना।

### **सूचनाओं की उपलब्धता:-**

हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्न प्रकार प्रक्रिया सुनिश्चित करायी गयी है:-

01. समय—समय पर भूमि विकास, विन्यास मानचित्र एंव भवन मानचित्र स्वीकृति आदि से सम्बन्धित विधियों/नियमों/आदेशों एंव निर्देशों के मार्ग दर्शक पुस्तिका निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
02. विभिन्न योजनाओं की विज्ञप्ति करना।
03. विभिन्न कार्य संचालन के लिए वांछित अभिलेखों के प्रपत्र सामान्य मूल्य पर उपलब्ध कराना।
04. सार्वजनिक सुनवाई के दिन विभिन्न मामलों को वस्तुस्थिति तथा संचालन के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराना।
05. समाचार पत्रों के माध्यम से मुख्य योजना/निर्णय जैसे—रिलीफ, स्कीम, आवासीय योजना आदि के विषय में जनसामान्य को सूचित करना।
06. जनता को सूचना मार्ग दर्शन हेतु स्वयं सेवकों एंव परामर्श दाताओं की व्यवस्था, सूचनाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इन्टरनेट/वेबसाईट पर सूचना उपलब्ध कराना।
07. जनता की सुविधा हेतु हरिद्वार महायोजना—2025, भवन निर्माण एंव विकास उपविधि विनियम, 2011 (संशोधित 2015) उत्तराखण्ड एंव शमन उपविधि प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध है। उक्त अभिलेख निर्धारित मूल्य पर कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

**सूचनाओं हेतु सम्पर्क अधिकारी एंव दूरभाष नम्बर:-**

अनुभाग	सम्पर्क अधिकारी	कार्यालय दूरभाष
01. प्रवर्तन अनुभाग (अनाधिकृत निर्माण/विकास)	अधिकारी/संयुक्त सचिव /सचिव	221558
02. नजूल/भू अर्जन अनुभाग	सचिव	221558
03. विधि अनुभाग	सचिव	221558
04. लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी	220800
05. लेखा अनुभाग	मुख्य वित्त अधिकारी	221558
06. अभियन्त्रण अनुभाग	अधिशासी अभियन्ता	221558
07. नियोजन अनुभाग (भवन मानचित्र/तल-पट मानचित्र)	अधिकारी/सहायी/अधिकारी	221558
08. सम्पत्ति अनुभाग	अधिशासी अभियन्ता	221558
09. अधिष्ठान अनुभाग (अभिलेख/सूचना)	प्रशासनिक अधिकारी	221558
10. उद्यान अनुभाग	उद्यान अधिकारी	221558

### **शिकायतों का निस्तारण :-**

01. शिकायत का निस्तारण/समाधान न होने पर सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने का अधिकार।
02. शिकायत पुस्तिका पर शिकायत दर्ज कराने का अधिकार तथा सचिव/नामित अधिकारी से समयबद्ध शिकायत का निस्तारण/समाधान करना।
03. आवंटियों/जनता के विवादग्रस्त प्रकरणों के समाधान हेतु सुनवाई सचिव/उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी द्वारा निस्तारण करना।

### **विभिन्न सेवाओं हेतु समय सारणी:-**

01. कब्जा प्रमाण पत्र	:	समस्त औपचारिकताएँ एंव अभिलेख पूर्ण होने पर 30 दिन के अन्दर।
02. हस्तांतरण / नामांतरण	:	समस्त अभिलेख जमा करने के 60 दिन के अन्दर।
03. सम्पत्तियों का प्रत्यावेदन	:	उपलब्धता एंव पात्रता होने पर 60 दिन के अन्दर।
04. धनराशि की वापसी	:	सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर 30 दिन के अन्दर।
05. पट्टायुक्त भूमि का फी—होल्ड में परिवर्तन	:	समस्त देय धनराशि जमा होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर।
06. समयबृद्धि	:	समस्त अधिमूल्य (प्रीमियम) अभिलेख की प्राप्ति पर 15 दिन के अन्दर।
07. भवन एंव भूखण्ड पर कब्जा :		समस्त प्रपत्र/अभिलेख जमा होने के दिनांक से 01 माह के अन्दर।
08. भवन मानचित्र स्वीकृत तथा : पूर्णता प्रमाण पत्र		भवन के लिए समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने एंव भवन मानचित्र सहित ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर तथा अन्य भवनों के लिए मानचित्र में 30 दिन के अन्दर।

## सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

- 01 सूचना अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ दस रुपये की ऑनलाईन/नगद धनराशि को आवेदन शुल्क के रूप में लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, रसीद की प्रतिलिपि के साथ आप अपना प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को दें, जो आपकी साहयता करेंगे, आवेदन शुल्क दस रुपये तथा प्रतिलिपि शुल्क दो रुपये प्रति पृष्ठ है जिसे ऑनलाईन/नगद जमा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है।
02. इस कार्यालय में नामित लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा दूरभाष निम्नवत् है इनसे आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं:-

क्रमांक संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
<b>अपीलीय अधिकारी</b>			
01	श्री उत्तम सिंह चौहान	सचिव/अपीलीय अधिकारी	01334-220800
<b>लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यालय हरिद्वार</b>			
01	श्री टी०पी० नौटियाल	सहा०अभि०/लोक सूचना अधिकारी (आवंटित क्षेत्र से सम्बन्धित)	01334-221558
02	श्री उमापति भट्ट	सहा०अभि०/लोक सूचना अधिकारी (आवंटित क्षेत्र से सम्बन्धित)	01334-221558
03	श्री डी०एस०रावत	सहा०अभि०/लोक सूचना अधिकारी (विकास कार्यों से सम्बन्धित)	01334-221558
04	श्री गोविन्द सिंह	सहा०अभि०/लोक सूचना अधिकारी (आवंटित क्षेत्र से सम्बन्धित)	01334-221558
03	श्री आकाश जगूड़ी	अवर अभि०/सहायक लोक सूचना अधिकारी (आवंटित क्षेत्र से सम्बन्धित)	01334-221558
04	श्री बलराम सिंह	अवर अभि०/सहायक लोक सूचना अधिकारी (आवंटित क्षेत्र से सम्बन्धित)	01334-221558
<b>लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, शाखा कार्यालय रुडकी</b>			
01	श्री डी०एस०रावत	सहा०अभि०/लोक सूचना अधिकारी (आवंटित क्षेत्र से सम्बन्धित)	01332-276764
02	श्री संजीव अग्रवाल	अवर अभि०/सहायक लोक सूचना अधिकारी (आवंटित क्षेत्र से सम्बन्धित)	01332-276764
03	श्री अनुज कुमार	अवर अभि०/सहायक लोक सूचना अधिकारी (आवंटित क्षेत्र से सम्बन्धित)	01332-276764

### **उपभोक्ताओं का दायित्व:-**

01. दलालों के माध्यम से अवैध/अनाधिकृत कार्यों को रोकने का प्रयास न करना।
02. अनुचित लाभ के लिए दवाब व सिफारिश का प्रयास न करना।
03. सभी देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक प्राधिकरण को करना।
04. सम्पत्ति आवंटन की शर्तों का पूर्णरूपेण अनुपालन एंव सम्पत्ति का उचित रख-रखाव करना।
05. भवन मानचित्र एंव अन्य मामलों में पूर्ण एंव सत्य तथ्यों का देना।
06. नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर) में सुधार विषय, सुझाव उपलब्ध कराना।

### **अपील:-**

01. जो सम्पत्ति क्रय कर रहे हैं, उस स्थान का तल-पट मानचित्र स्वीकृत है अथवा नहीं ? यदि स्वीकृत मानचित्र विक्रेता प्रस्तुत करें तो स्वीकृति संख्या, दिनांक एंवं मुहर तथा हस्ताक्षर अवश्य देख लें तथा इसका मिलान एंव पुष्टि हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण से अवश्य करा लें। अनधिकृत रूप से विकसित की गयी कालोनी एंव अनधिकृत रूप से निर्मित किया गया भवन/भूखण्ड क्रय न करें। तल-पट मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करने मात्र को स्वीकृत न समझें। हरिद्वार विकास क्षेत्र में स्वीकृत कालोनियों के तलपट मानचित्र प्राधिकरण की वेबसाईट [www.onlinehrda.com](http://www.onlinehrda.com) पर उपलब्ध है।
02. सड़कों, नालों, पार्कों आदि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें।
03. मार्गों के किनारे रोपित पेड़-पौधों की सुरक्षा करें।
04. सार्वजनिक उपयोग की सड़कों, गलियों को अनावश्यक रोड कटिंग से रोकें। रोड कटिंग अपरिहार्य होने पर तत्काल मरम्मत करें।
05. जल प्रवाह नाले, नालियों को अवरुद्ध न करें।

## सेवा का अधिकारः—

**उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम—2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं हेतु सूचना पट**

पदाभिहित अधिकारी का नाम :— श्री उत्तम सिंह चौहान

पदनाम :— सचिव

कार्यालय :— हरिद्वार—रुडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

क्र० सं०	अधिसूचित सेवा	विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गयी समय—सीमा	प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गयी पता	प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गयी पता	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एवं पता	द्वितीय अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गयी समय—सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय मानचित्र की स्वीकृति अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्ति उपरान्त	<b>A-</b> महायोजना में स्वीकार्य भू—उपयोग के अन्तर्गत 1. भवन उपविधि के अनुसार सक्षम तकनीकी अनुज्ञापी स्तर से तैयार मानचित्र की 6 कापी ब्लूप्रिन्ट में स्थल की लोकेशन का अंकन कर महायोजना उद्धरण सहित।	15 दिन	उपाध्यक्ष, हरिद्वार—रुडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार, मायापुर हरिद्वार।	30 दिन	अपर मुख्य प्रशासक / अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	60 दिन

- भू—स्वामित्व (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विक्रय विलेख एवं उक्त सीमा से बाहर (ग्रामीण सीमा के अन्तर्गत) विक्रय विलेख के साथ खसरा खतौनी एवं ऐसे प्रकरण में जहां पर पुस्तैनी सम्पत्ति है उनके लिए सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार से भू—स्वामित्व एवं क्षेत्रफल का सीमांकन करने के पश्चात भू—स्वामित्व प्रमाणपत्र की पुष्टि सहित। खसरा विवादित होने की दशा में सम्बन्धित राजस्व विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र। प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में विक्रय विलेख एवं कब्जा प्रमाण पत्र, मूल आंवटी द्वारा भूखण्ड विक्रय किये जाने की दशा में विक्रय विलेख एवं नामान्तरण प्रमाण पत्र के साथ। अन्य स्वीकृत कालोनियों में विक्रय विलेख। (समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रति)
- प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शपथ पत्र ₹0. 10.00 के नाँ जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर (आवेदक एवं तकनीकी अनुज्ञापी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित तथा नोटरी द्वारा प्रमाणित)
- भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मन्त्रालय, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की निर्धारित अनुसूची 01 एवं 02 सम्पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित (तीन सेट में)
- भवन उपविधि के अनुसार भूकम्प रोधी ड्राईंग एवं प्रमाण पत्र (शासन स्तर पर प्राधिकृत इंजीनियर से) संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित।
- अग्नि शमन प्रमाण पत्र (भवन उपविधि के अनुसार निर्धारित सीमा के कवर्ड तल क्षेत्रफल के लिए)
- पुराने निर्माण के सम्बन्ध में साक्ष्य (पूर्व स्वीकृत मानचित्र) अथवा नगर निगम/नगर पालिका परिषद/ग्राम पंचायत में प्राधिकरण गठन से पूर्व के निर्मित निर्माण की स्थिति सहित प्रमाण पत्र।
- नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत/ग्राम पंचायत सीमा के अधीन स्थल के लिए उक्त इकाईयों से मानचित्र के साथ अनापत्ति प्रमाण—पत्र।
- प्रस्तावित निर्माण स्थल से 100 फिट की दूरी पर सरकारी विभाग/अर्द्ध सरकारी विभाग की भूमि होने की दशा में सम्बन्धित विभाग का मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- प्रस्तावित निर्माण स्थल में गंगा नदी तट से 200 मीटर की परिधि में होने की दशा में गंगा नदी तट से स्थल की दूरी अंकित कराकर सम्बन्धित सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्रमाण—पत्र एवं गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई अथवा सीवर व्यवस्था/संयोजन से सम्बन्धित अर्ह विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (मानचित्र के साथ)
- जल संयोजन हेतु सम्बन्धित विभाग (जल निगम/ जल संस्थान से) से मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण—पत्र।
- उपरोक्तानुसार निर्धारित चैक लिस्ट (आवेदक एवं तकनीकी अनुयायी से हस्ताक्षर युक्त)
- B-** महायोजना जोनिंग रेग्लेशन के अनुसार स्वीकार्य भू—उपयोग के अन्तर्गत मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य किये जाने पर एवं विपरीत भू—उपयोग में शासन द्वारा भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने के उपरान्त पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- C-** अनाधिकृत कालोनी के अन्तर्गत भूखण्ड होने की दशा में कालोनी के नियमितिकरण उपरान्त ही आवेदन स्वीकार्य किये जायेंगे।

### 2. व्यावसायिक मानचित्र की स्वीकृति अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्ति उपरान्तः—

**A-** महायोजना में स्वीकार्य भू—उपयोग के अन्तर्गत (बिन्दु संख्या01 से 11 तक आवासीय के अनुसार)

- औद्योगिक मानचित्र हेतु जिला उद्योग केन्द्र एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं 20,000 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक कवर्ड क्षेत्रफल में प्रस्तावित निर्माण हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र।

13. पेट्रोल पम्प एवं धार्मिक पूजा स्थल के मानचित्र हेतु जिलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
14. व्यावसायिक/अनावासीय निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल से सीवर संयोजन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र।
15. 02 हेक्टेयर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल पर नेबर हुड, कलस्टर एंव टाउनसिप हेतु आर.एच.डी. का प्रमाण पत्र संलग्न करना।
- B-** महायोजना जोनिंग रेगूलेशन के अनुसार स्वीकार्य भू-उपयोग के अन्तर्गत मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य किये जाने पर एवं विपरीत भू-उपयोग में शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के उपरान्त पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- C-** अनाधिकृत कालोनी के अन्तर्गत भूखण्ड होने की दशा में कालोनी के नियमीतिकरण उपरान्त ही आवेदन स्वीकार्य किये जायेंगे।

क्र० सं०	अधिसूचित सेवा	विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गयी समय-सीमा	प्रथम अपील के लिए निश्चित की गयी पदनाम एवं पता	प्रथम अपील के लिए निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील का पदनाम एवं पता	द्वितीय अपील के लिए निश्चित की गयी समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मानचित्र की द्वितीय प्रति लेने के लिए	निर्धारित प्रारूप पर नियत शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर (प्रारूप कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है)	05 दिन	उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार,	15 दिन	अपर मुख्य प्रशासक/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	30 दिन
2.	आवासीय मानचित्र की कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र	निर्धारित प्रारूप पर अभिलेखों के सहित आवेदन शुल्क जमा करने पर (प्रारूप कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है)	15 दिन	उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार,	30 दिन	अपर मुख्य प्रशासक/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	60 दिन
3	व्यवसायिक/आवासीय मानिचत्र का कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र	निर्धारित प्रारूप पर अभिलेखों के सहित आवेदन शुल्क जमा करने पर (प्रारूप प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है)	30 दिन	उपाध्यक्ष हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण	30 दिन	आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी	60 दिन
4.	स्पष्ट की-प्लान उपलब्ध होने के बाद भू-उपयोग की जानकारी	निर्धारित प्रारूप पर अभिलेखों के सहित आवेदन शुल्क जमा करने पर (प्रारूप प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है)	10 दिन	उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	30 दिन	आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी	60 दिन

#### पदाधिकारी अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर :

- प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा :- 30 दिवस
- प्रथम अपील के निश्चित के लिए समय-सीमा :- 30 दिवस
- द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा :- 30 दिवस
- द्वितीय अपील निश्चित के लिए निश्चित समय-सीमा :- 60 दिवस

कृपया अपने आवेदन की प्राप्ति अवश्य प्राप्त करें।

आज्ञा से  
कार्यालयाध्यक्ष